

**कार्यकारी आदेश 2022-15**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 108)**

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 3,446,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 34,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेजी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, महामारी के दौरान कई संस्करण (वेरिएंट) सामने आए हैं, जिनमें प्रत्येक अलग-अलग संचरण क्षमता वाले और गंभीरता वाले शामिल हैं; और,

**जबकि**, इस महामारी में भविष्य में क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल काम है, और महामारी को रोकने वाले प्रमाणित कार्य जैसे कि सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकना और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियाँ COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई हैं; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि जो व्यक्ति प्रतिरक्षित हैं या गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम पर हैं, वे सार्वजनिक रूप से घर के अंदर एक अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क को पहनने पर विचार करें, जब समुदाय COVID-19 का स्तर अधिक होता है; और,

**जबकि**, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट वाले लोग, या COVID-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहनें; और,

**जबकि**, व्यक्ति स्वयं को या अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार के विरुद्ध संरक्षित करने के लिए मास्क पहन सकते हैं; और

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 टीकाकरण के मामले में अप-टू-डेट नहीं हैं, या जो COVID-19 संक्रमण के 90 दिनों के भीतर हैं, वे COVID-19 से संपर्क के बाद कम-से-कम 5 दिनों के लिए घर पर ही रहते हुए संगरोध (कॉरंटीन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 के परीक्षण में पॉजिटिव आए हैं वे परीक्षण में पॉजिटिव आने के बाद कम-से-कम 5 दिनों तक घर पर ही रहते हुए पृथक्वास (आइसोलेशन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस की प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, 34,000 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

**जबकि**, COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी हो गई है, जो इलिनॉय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर रहा है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में कर्मचारियों, बिस्तरों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता शामिल है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित सुविधाएं भी शामिल हैं;

**जबकि**, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; और,

**जबकि**, 24 जून 2022 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मैं कार्यकारी आदेश 2020-24 को फिर से जारी करना और संशोधित करना आवश्यक समझता हूँ, और इसके द्वारा उस कार्यकारी आदेश के जबकि खंडों को समाविष्ट करता हूँ;

**अतः**, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो 24 जून, 2022 से प्रभावी होगा:

### **भाग 1: कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसिज़ फॉरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम) को फिर से जारी करना:**

कार्यकारी आदेश 2020-24 को पुनः जारी किया जाता है और निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-24 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **24 जुलाई, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Governatorial Disaster Proclamations) की अवधि के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद अधिकतम तीस दिनों के लिए, निम्नलिखित इलिनॉय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Illinois Code of Criminal Procedure of 1963) की धारा 104-17 (बी) के वैधानिक प्रावधान आंशिक रूप से निलंबित किए जाते हैं, जिस हद तक उन्हें रिमांड आदेश के प्रेषण के 20 दिनों के भीतर प्रतिवादी के प्लेसमेंट स्थान के बारे में काउंटी जेलों को सूचित करने के लिए इलिनॉय मानव सेवा विभाग की आवश्यकता होती है: इलिनॉय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1963 के अनुभाग 104-17(b), 104-23(b)(3), 104-25(b), और 104-26(e)(2), साथ ही इलिनॉय यूनिफाइड कोड ऑफ़ करेक्शंस के अनुभाग 5-2-4(a). हालांकि, इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज द्वारा प्रवेश जारी रखने और प्राथमिकता दी जानी है। प्राथमिकता मानदंड में निम्नलिखित रोगी मानदंड शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है: (i) स्वयं या दूसरों के लिए खतरनाक होना, (ii) तीव्र मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें, (iii) जेल में रहते हुए विप्रतिपूर्ति की संभावना, और (iv) इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेस में दाखिले की प्रतीक्षा में समय की अवधि। तदनुसार, सभी इलिनॉय काउंटी जेलों से मानव सेवा फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम विभाग इलिनॉय (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Programs) में सभी प्रवेश निलंबित किए जाते हैं, सिवाय उन मामलों के जो सीमित अत्यावश्यक भर्तियों के लिए मानव सेवा फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम विभाग इलिनॉय के सचिव के स्वविवेक पर निर्भर होंगे। इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज फॉरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स सचिव को काउंटी शेरिफ और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि उन व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जो DHS फॉरेंसिक उपचार कार्यक्रम (DHS Forensic Treatment Programs) और साथ ही काउंटी जेलों और DHS सुविधाओं में ट्रांसफर किए जाएंगे।

**भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)।** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**जेबी प्रिटज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल**

(गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 6 जुलाई, 2022  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 6 जुलाई, 2022